

**समाहरणालय, मधेपुरा।
(आपदा प्रबंधन शाखा)**

:- आदेश :-

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक1320 दिनांक11.04.14 एवं 01(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 28.04.2014 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष 02- बाढ़ चकवात आदि के लघु शीर्ष-101- आनुग्रहिक राहत - उप शीर्ष - 0005 - आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद अनुदान, विपत्र कोड एन0 - 2245021010005 मद में मो0 - 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रू0 मात्र एवं उप शीर्ष - 0007 - आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान, विपत्र कोड एन0 - 2245021010007 मद में मो0 - 15,00,000/- (पंद्रह लाख) रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को अंचल अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय/पदाधिकारी को उपावंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद अनुदान	आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान	कुल उपावंटित राशि
1	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	100000	100000	200000
2	अंचल अधिकारी, धैलाढ़	100000	100000	200000
3	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	100000	100000	200000
4	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	100000	100000	200000
5	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	100000	100000	200000
6	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	300000	300000	600000
7	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	100000	100000	200000
8	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	100000	100000	200000
9	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	100000	100000	200000
10	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	100000	100000	200000
11	अंचल अधिकारी, चौसा	100000	100000	200000
12	अंचल अधिकारी, पुरैनी	100000	100000	200000
13	अंचल अधिकारी, आलमनगर	100000	100000	200000
	कुल योग :-	15,00,000	15,00,000	30,00,000

उपावंटन की शर्तें :-

- (1) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 एवं ज्ञापांक 12(स0अनु0)/आ0प्र0, दिनांक 16.05.2013 के आलोक में किया जा रहा है।
- (2) इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष 02- बाढ़ चकवात आदि के लघु शीर्ष 101- आनुग्रहिक राहत, उप शीर्ष - 0005- आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद अनुदान एवं उप शीर्ष - 0007 - आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रादि के लिए अनुदान, के लिए मांग संख्या -39 यूनिट कोड-31 06- सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- (3) संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपावंटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

2

- (4) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय निर्देश के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है । किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवारी होंगे। व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन कार्यालय, मधेपुरा को भी दी जाय।
- (5) उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
- (6) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2015 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
- (7) आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह:-1
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 138 आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 21-05-2014

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा/ विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ प्रेशित।

21/05/14
जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।